संo– 957/IV(2)–शoविo–10–02(एडीबी)/09

प्रेषक,

एसo राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कार्यक्रम निदेशक,
उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : देहरादूनः दिनांक– 2 जून मई, 2010

विषयः–यूयूएसडीआईपी के लिए गठित आईपीएमयू के कार्मिकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या 395/XXVII/(7)/2008 दिनांक 17–10–2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयनुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम में कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, देहरादून के पत्र संख्या PD(ADB)/(09-10) F-12(II)/476 दिनांक 2–7–2009 द्वारा शासनादेश संख्या 1506/IV(2)–शoविo–08–38(साo)/07 दिनांक 24–11–2008 द्वारा आईoपीoएमoयूo के लिए अस्थाई रूप से सृजित पदों हेतु शासनादेश संख्या 395/XXVII/(7)/2008 दिनांक 17–10–2008 द्वारा दिनांक 1–1–2006 से लागू करने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 395/XXVII/(7)/2008 दिनांक 17–10–2008 द्वारा राजकीय कर्मचारियों के लिए 1–1–2006 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान में जो वेतनमान उक्त इकाई में है, उनको उक्त शासनादेश के संलग्नक–1 के कॉलम–2 के अनुसार वर्तमान वेतनमान के संलग्नक कॉलम–2 के अनुसार वेतन बैंड व 5 के अनुसार ग्रेड पे में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– शासनादेश संख्या 395/XXVII/(7)/2008 दिनांक 17–10–2008 के प्राविधानों तथा इसके विषय में समय–समय पर निर्गत स्पष्टीकरणों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान देय होगें तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 262/XXVII/(7)/2009 दिनांक 27–8–2009 की शर्ते एवं प्रतिबन्ध भी यथावत् लागू होंगे।

2– उक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय स्वयं की वित्तीय स्थिति के अनुरूप लिया जायेगा एवं इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता अनुमन्य नहीं की जाएगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2602/XXVII(7)/2010 दिनांक 10 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

सं0 957 (1)/IV(2)-श0वि0–10, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि इस शासनादेश को उत्तराखण्ड की वैबसाईट में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निधिमणि त्रिपाठी)
अपर सचिव।